(138)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2341–दो/2006 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2006 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 219/2005–06 अपील

1– श्रीमती रेवती पत्नि स्व0छोटेलाल
2– चन्दनसिंह 3– मुरारीलाल
4– केदार 5– केदार पुत्रगण स्व0छोटेलाल
सभी निवासी ग्राम लालोर खुर्द
तहसील व जिला मुरैना
6– सुश्री देवी पुत्र स्व0छोटेलाल
निवासी पुरानी जोन मुरैना
7– सुश्री विमला पुत्री स्व0छोटेलाल
निवासी बामौर जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– हरप्रसाद पुत्र शिवराज
निवासी ग्राम लालोर तहसील मुरैना ---असल अनावेदक
2– जगदीश प्रसाद पुत्र दीनानाथ
3– दामोदर पुत्र शिवचरण
4– रामनिवास पुत्र शिवचरण
निवासी ग्राम लालोर तहसील मुरैना ---तर0अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

(अनावेदक क्र–1 के अभिभाषक श्री अनिल सक्सैना)

आ दे श

(आज दिनांक 23 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 219/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.11.2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय छोटेलाल ने अपने जीवनकाल में तहसीलदार मुरैना को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन देकर उनकी सामलाती खाता कमांक 98, खाता कमांक 99, खाता कमांक 403, खाता कमांक 404 पर धारित भूमि के बटवारे की मांग की। तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण कमांक 1/1995-95 अ 27 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 27-10-96 पारित करके बटवारा आवेदन प्रचलनयोग्य न होना मानकर निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 20/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-1997 से अपील स्वीकार की गई एंव तहसील न्यायालय में सहमति के अनुसार प्रस्तुत फर्द बटवारा स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 219/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.11.2006 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण एंव अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा निगरानी मेमो में अंकित आधारों एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि वाद विचारित खातों की भूमि का सहकृषकों के बीच पूर्व ही में घरू बटवारा हुआ है तथा घरेलू बटवारे के अनुसार सहखातेदारों ने तहसीलदार के समक्ष

आवेदन प्रस्तुत किये हैं । इसी प्रकार तहसीलदार के समक्ष सहमति बटवारे के आधार पर तैयार फर्द भी प्रस्तुत हुई है। तहसीलदार ने जब प्रकरण में इस्तहार जारी किया है, किसी पक्षकार व्दारा आपत्ति नहीं की गई है। प्रकरण में आये तथ्यों से यह भी परिलक्षित है कि सभी खातेदार घरेलू बटवारे के अनुसार प्राप्त हिस्सों की भूमियों पर काविज होकर खेती करते आ रहे हैं और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ने माननीय उच्च न्यायाल व्दारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत 1989 आर0एन0 14 का अवलम्बन लेते हुये निर्धारित किया कि आपसी सहमति के आधार पर हुये विभाजन को न्यायालय को स्वीकार करना लाजमी है। विचार योग्य है कि जब सहखातेदारों के बीच सहमति के आधार पर बटवारा स्वीकार किया गया हो, तब क्या ऐसे बटवारा आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य एंव स्वीकार योग्य है ?

भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)- धारा-178 -पूर्व का आपसी बटवारा - बराबर हिस्सा न होने के आधार पर दुवारा बटवारे का आवेदन मान्य नहीं किया जा सकता। आपसी बटवारा सद्भाव पर आधारित होता है। (दयाराम बनाम हरचंद 1989 रा0नि0 14 हाई कोर्ट से अनुसरित)

परन्तु अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 219/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.11.2006 में उक्त तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के आदेश दिनांक 28-2-1997 के पृष्ठ -3 में निम्नानुसार विवेचना की गई है :-

"सहकृषकों के बीच आपसी सहमति से खातों की भूमि का बटवारा हुआ है । तद्नुसार सहकृषक भूमि पर काविज होकर कास्त करते आ रहे हैं। खातेदार बद्रीलाल निःसंतान फोत है मृतक के स्थान पर अपीलांट का उत्तराधिकारी के स्वत्व का नामान्तरण हो चुका

है। रिस्पा0 3 लगायत 6 शिवचरण के उत्तराधिकारी है। शिवचरण ने अपने जीवनकाल में ही सालिगराम का दत्तक पुत्र होकर गोद पर चला गया। अतः पैत्रिक भूमि में उसका कोई स्वत्व अवशेष नहीं रहा। उसका व उसके उत्तराधिकारियों का खाते की भूमि में नाम नुमायशी है। रिस्पा. क. 3 से 6 को उनके हिस्से अनुसार समान मूल्य की संपत्ति प्रदान कर दी गई है उन्होंने खाते की भूमि में अपने स्वत्वों का त्योग अपीलांट के पक्ष में कर दिया है।''

भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)- धारा-178 - पक्षकारों के बीच मौखिक विभाजन - दुवारा विभाजन का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। (बाबूलाल बनाम मुन्नालाल 1988 रा0नि0 94 हाई कोर्ट से अनुसरित

उक्त कारणों से अपर आयुक्त, चम्बल संभाग व्दारा आदेश दिनांक 30.11.2006 से प्रकरण पक्षकारों की सुनवाई हेतु पुनः प्रत्यावर्तित करना पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाने का प्रयास है क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी मुरैना व्दारा उपरोक्तानुसार विवेचना कर निकाले गये निष्कर्ष उचित प्रतीत होते हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 219/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.11.2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 20/96-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-1997 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर